

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

पत्रांक : 9/उपा0/बीज/विविध-14/2018

2893

/कृ0 पटना दिनांक 23-5-2018

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय,
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

ई-मेल

क्षेत्रीय प्रबंधक,
मेसर्स वेस्ट बंगाल हाइब्रीड सीड्स एण्ड बायोटेक प्रा0 लि0,
छोटी मड़ई, हाजीपुर, (वैशाली)

विषय :- मासिक बैठक में भाग नहीं लेने एवं प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में स्पष्टीकरण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विगत कई मासिक बैठकों में आपके द्वारा भाग नहीं लिया गया है एवं मासिक बिक्री प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। राज्यस्तरीय बीज अनुज्ञप्ति हेतु निर्गत पत्र की शर्त बिन्दु-2 का पालन आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है, साथ ही बीज नियंत्रण आदेश 1983 की कंडिका 18 (2) का अनुपालन नहीं करने के कारण आपके बीज अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए बिक्री पर रोक लगाई जाती है। इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजस
22-5-18

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

2893

/कृ0, पटना, दिनांक 23-5-2018

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई02टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

22-5-18

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।